पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)
फैक्स न०-0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-27(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 29.04.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत-उपशीर्ष-0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010016 मद में 400000.00 (चार लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-394/आ0प्र0, दिनांक 30.05.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, बाढ़ को उपावंटित किया जा चुका है।

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-134 (स0अनु)/आ0प्र0, दिनांक 03.10.2016 द्वारा उक्त मद में 490000.00 (चार लाख नब्बे हजार) रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे संबंधित अंचल को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष-2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत,
उप शीर्ष-0016- राज्य की स्थानीय प्राकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान।
मांग संख्या-39 यूनिट कोड-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा

क्र0	अंचलाधिकारी का नाम	मृतकों की संख्या	मद का नाम		
			पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अंचलाधिकारी, बाढ़	1	400000.00	-	400000.00
2	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी	मृत व्यक्ति-1 मृत पशु-30	-	490000.00	490000.00
	कुल योग		400000.00	490000.00	**890000.00**

(1) यह आवंटन पी0जी0 लाईन में पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी हॉल्ट के पास 100 से अधिक भेंड़ एवं भेंड़ मालिक की सामुहिक रेल दूर्घटना में हुई मृत्यु के एवज में अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के पत्रांक-1465, दिनांक 15.09.2016 के आलोक में 30 भेड़ियों के एवज में 90000.00 एवं भेंड़ पालक रामभजन भगत की मृत्यु के एवज में अनुग्रह अनुदान 400000.00 निकटतम आश्रित पत्नी सरस्वती देवी, ग्राम-तरपुरा, पो0+थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना को भुगतान करने हेतु उपावंटित किया जा रहा है।

(2) संबंधित अंचलाधिकारी विभागीय अधिसूचना सं0-1418/आ0प्र0, पटना दिनांक 17.04.2015 के आलोक में स्वंय संतुष्ट हो लेगें कि राज्य के विशेष स्थानीय प्राकृति की आपदाओं की श्रेणी में हीं आती है। संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए हीं राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों एवं पशुपालकों के निकटतम आश्रित को इस राशि का भुगतान कर इसकी प्राप्ति रसीद के साथ व्यय/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेगें।

(3) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि- लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत- उप शीर्ष-0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान, मद में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं की जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी हीं जिम्मेवार होंगे।

(5) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx228

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219118(का०)
फैक्स न०-0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक **15.03.2017** तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(7) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रीम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(8) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(9) इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक-**2561(वि0)(2)**, दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

(10) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

अनुलग्नक-आवंटन पत्र की प्रति।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1152/आ0प्र0, दिनांक 7/10/16

प्रतिलिपिः- अंचलाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
प्रतिलिपिः- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-134(स0अनु0)आ0प्र0, दिनांक-03.10.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/- 6/10

जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx229